


नियमावली

AP/4095/11
25/2/12

- (1) संस्था का नाम : प्रगति ग्रामीण विकास संस्था होगा।
- (2) संस्था का कार्यालय : प्रगति ग्रामीण विकास संस्था
महावीर वार्ड, बारस्कर कॉलोनी, बैतूल, तहसील बैतूल,
जिला बैतूल, म.प्र. पिन - 460001
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्र : बैतूल एवं सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
- (4) संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
 1. ग्रामीण क्षेत्र के उपेक्षित वर्ग के लिये ग्रामीण विकास हेतु रचनात्मक कार्य का संचालन करना तथा उक्त कार्यों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें आपसी सहयोग एकता एवं जनचेतना जागृत करना।
 2. महिलाओं के सर्वांगीण विकास, उन्नति एवं समृद्धि की दिशा में योजनाओं का निर्माण कर उनका कार्यन्वयण करना तथा साक्षरता अभियान चलाना।
 3. ग्रामीणों का भौतिक तथा सामाजिक स्तर ऊँचा उठाना और उसे शोषण मुक्त एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करना।
 4. ग्रामीण वनवासी गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, सुधार, भूजल संरक्षण, पर्यावरण सुधार आदि के विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा प्रचार एवं प्रसार करना।
 5. छात्र, छात्राओं के लिए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, जैसे बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रा.शिक्षा, मा.शिक्षा, उच्चतर माध्य. शिक्षा।
 6. बीमारियों से बचने के उपाय - बच्चों व गर्भवती माताओं के टीकाकरण, एड्स, कार्यक्रम, कुपोषण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना एवं जागृत करना।
 7. पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना एवं समय-समय पर परिचर्चा प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों का आयोजन करना।
 8. प्राकृतिक एवं योग संबंधी चिकित्सा एवं ज्ञान का प्रचार-प्रसार एवं विकास करना तथा नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाना एवं शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग लोगों को सहयोग प्रदान करना।
 9. शासकीय संस्थाओं द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनके सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना तथा उसके लिये व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त करना।
 10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलम्बन का भाव जगाना एवं आदिवासी एवं दलित महिलाओं का वैदिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास करना।
 11. आदिवासी की परम्परा और रीति रिवाज, इनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संसाधन और वाद-विवाद निपटाने की परम्परागत रीतियों को बनाये रखना उनका संरक्षण करना।
 12. मजदूर महिला अन्य ग्रामीणों के बीच कानूनी जानकारी देना और उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।
 13. स्थानीय संसाधनों को बचाना एवं उनसे उत्पादन करना, कराना आदि।
 14. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना करने तथा उन्हें प्रशिक्षण दिलाना।
 15. तकनीकी खेती से खेती करने को प्रोत्साहित करना एवं उनके मवेशियों की बीमारियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण देना।
 16. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन से विधिपूर्ण तरीकों से वित्तीय सहारा, अनुदान प्राप्त करना एवं कराना।
 17. ऐसे विधिपूर्ण सभी कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।


K. J. Singh


K. J. Singh


K. J. Singh

(5) सदस्यता – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) संरक्षण सदस्य – संस्था का जो व्यक्ति दान के रूप में 500 या वार्षिक एक मुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रु. 300 या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रु. 200 या अधिक देकर संरक्षण सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रु. 10 प्रतिमाह या 120 रु. प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा।

साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों से छः माह तक देय चंदा नहीं देगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देना तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति – प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके लिये आवेदन पत्र को स्वीकार करना या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता – संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है –

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हों

(8) सदस्यता की समाप्ति – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।


1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी।


(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किए जावेगे –


1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिस से सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।
3. वह तारीख जिस में सदस्यता समाप्त हुयी हों

(10) अ साधारण सभा – साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे।

साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का मास तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति


अध्यक्ष


संयोजक


सचिव

निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3 / 5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह क्रें भीतर बुलायी जावेगी। उसमें संस्था के पद अधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जाएगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा हक वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब प्रबंधकारिणी सभा – प्रबंधकारिणी सभा बैठक आवश्यकतानुसार होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। वे बैठक में कोरम 1 / 2 सदस्य की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स विशेष – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) का 2 / 3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाए जाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक संयोजक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

- क. संस्था ने पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- ख. संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों
- च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रों को स्वीकृत करना।
- छ. बजट का अनुमोदन करना।


(12) प्रबंधकारिणी का गठन – ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेगें नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पद अधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।


1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 3 सचिव 4 कोषाध्यक्ष 5 संयुक्त सचिव एवं सदस्य 4

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल – प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य –

- अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- ब. पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।


अध्यक्ष


कोषाध्यक्ष


सचिव

- स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगाने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- द. कर्मचारियों, शिक्षको आदि की नियुक्ति करना।
- ई. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जायें
- च. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
- छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अर्जित या आन्तति नहीं की जावेगी।
- ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श पर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2 / 3 मत से संचालित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकार का उपयोग करेगा।

(17) सचिव के अधिकार –


1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव को प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी भी कार्य के लिये एक समय में 500 रुपये स्वीकृत करने का अधिकार होगा।


(18) सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।


(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार – समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाता – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 500/-, रहेगे।

(21) पंजीयक को भेजे जाने वाली जानकारी – अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक के 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परिक्षित लेखा भेजेगीं


अध्यक्ष


कोषाध्यक्ष


सचिव

- (22) संशोधन – संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2 / 3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसकी पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाये को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
- (23) संस्था का विघटन साधार सभा में कुल सदस्यों के 3 / 5 मत से पारित किया जायेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
- (24) संपत्ति – संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थावन) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाये की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
- (25) बैंक खाता – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- (26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना – संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पद अधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाये को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
- (27) विवाद – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्था के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

Kajal
नएव


अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

सचिव
सचिव

प्रमाणित प्रति
शुल्क रुपये 280/-
दिनांक 17-2-17
दस्तावेजों की प्रमाणीकरण जारी होने की दिनांक

अ
सहायक के हस्ताक्षर
T.C

Manjly
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
25/2/17



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


AP 610555



प्राण पत्र / सामान्य निजाम की प्रमाणित
वृत्ति के साथ निजाम प्रमाण पत्र संख्या
का नाम प्राण शाहीन नि.प्र.प्र.व. अफसर
जि. क्र. 7188 दिनांक 7-7-99

सामान्य के हस्ताक्षर

Mangley



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 610556



माण पत्र / सत्यमेव जयते
प्रति के सा...
का नाम प्रकाश शशीका विद्यालय, कैदल
पंजी. क्र. 7188
7/7/99
सहायक के हस्ताक्षर

Manglik